इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 सितम्बर 2011—भाद्र 17, शक 1933

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 35-97-2009-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, दिनांक 8 सितम्बर, 2011 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है:—

अनुसूची

वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, प्रवर्ती (ऑपरेटिव) अनुसचिवीय, चिकित्सीय तथा स्वास्थ्य कर्मी, जो—

(1) राज्य के समस्त चिकित्सा, दंत, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक महाविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध अस्पताल कर्मी, जो

(2) प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधुकर अग्नेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2011

क्र. एफ. 35-97-2009-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधुकर अग्नेय, उपसचिव.

Bhopal, the 8th Sepetmber 2011

F. No. 35-97-2009-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashayak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 8th September, 2011 for a period of three months:—

SCHEDULE

Scientific, Technical, Executive, Operative, Ministerial, Medical and Health Personnel connected with—

(1) All the Medical, Dental, Ayurvedic, Unani, Homeopathic Colleges of the State and Hospitals attached thereto:

(2) All the Government Hospital, Dispensaries, Health Centres, Health Education Institutions at all levels in the State.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MADHUKAR AGNEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011